NOC

पत्रांक 10/न4-12/2002 शि0- 580
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार

प्रेषक

श्री एम0 दास
विशेष निदेशक, मा0शि0।

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र, कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत बिहार
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 1-11-04

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 4.10.04 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त्त के साथ निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के समकक्ष वेतनादि का भुगतान विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को करना होगा तथा उन विद्यालयों में सी0बी0एस0ई0, [illegible] मापदंड के अनुरूप भवन में तद्नुरूप विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित करनी होगी:-

(1) सेंट सेन्ट हाई स्कूल, बेगम की हवेली, पटना सिटी
(2) पूज्य तपस्वी श्री जगजीवनजी महाराज सरस्वती विद्या मंदिर, हसनपुर [illegible] राजगीर।
(3) सुन्दरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, देशरी [illegible] लेन, बूढ़ानाथ, भागलपुर
(4) आर0पी0[illegible] स्कूल, कचहरी रोड, बिहारशरीफ, नालंदा
(5) आर0एस0एम0 पब्लिक स्कूल, सुपौल
(6) इम्पिरियल पब्लिक स्कूल, हथुआ, गोपालगंज
(7) डा0 दुखनराम डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, गोला रोड, दानापुर, पटना
(8) पी0पी0एम0 स्कूल, वेंकटेश्वरनगर, अखल मोड़, जहानाबाद
(9) नोट्रेडेम एकेडमी, मुंगेर
10- मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी, एफ0सी0आई0 रोड, फुलवारीशरीफ, पटना
11- रेडियेन्ट इंटरनेशनल स्कूल, खगौल रोड, पटना
12- एडिलेड कान्वेंट स्कूल, चित्रगुप्तनगर, कंकड़बाग, पटना
13- डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल इंडस्ट्रीयल एरिया, बरारी, भागलपुर
14- रामकृष्ण [illegible] मंदिर उच्च विद्यालय, गांधी निकुंज, रन्नूचक, भागलपुर

पी0टी0ओ0

15. सीताराम डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, सीतामढ़ी - विद्यालय का संशोधित पता, सीताराम डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, पुपरी, सीतामढ़ी।

16. एलिमेन्ट पब्लिक स्कूल, कटारी हिल रोड, गया

2- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है।

3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

30.10.04

(एस० दास)

विशेष निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)

(कृपा)

ज्ञापांक 580 पटना, दिनांक 1-11-04

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2- शैक्षिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

(क) विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक विलम्ब किया जा रहा हो,

(ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर,

(ग) विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद के लिए सुविधा की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो,

(घ) विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गई नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो जिसमें समाज के विभिन्न सोसायटी के बीच कटुता पैदा हो;

(च) सी०बी०एस०ई० मापदण्ड के अनुरूप भवनों में सी०बी०एस०ई० मापदण्ड के अनुरूप विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर।

30.10.04

विशेष निदेशक(मा०शि०)

ज्ञापांक 580 पटना, दिनांक 1-11-04

प्रतिलिपि सचिव/निदेशक(माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30.10.04

विशेष निदेशक(मा०शि०)

ज्ञापांक 580 पटना, दिनांक 1-11-04

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री(प्राथमिक एवं माध्यमिक), मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30.10.04

विशेष निदेशक(मा०शि०)

Sm Saina, SND